21/11/13

वकील प्रार्थी उपस्थित।
बहस वकील प्रार्थी की समायत की गई। वकील प्रार्थी ने बहस में जाहिर किया कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। स्थित मौजा [illegible] पटवार हल्का [illegible] [illegible] के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त [illegible] व खातेदारी की भूमि खसरा नं. 434 रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा आई हुई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। विवादित भूमि का कानूनन आज दिनांक तक बंटवारा नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के मौके काश्त में दखलंदाजी करते हैं। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, काश्त मुतालिका में किसी प्रकार की बाधा कारित करने व कराने से किसी प्रकार से अप्रार्थी [illegible] व उनके [illegible] किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने व किसी प्रकार [illegible] करने से अप्रार्थीगण भू-भाग का बेचान आदि करने से मूल दावे के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश फरमावें।

उक्त पत्रावली का दस्तावेजात, जमाबंदी का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील [illegible] पर गौर से मनन किया गया। वस्तुतः उक्त विवादित आराजी के प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से रेकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। विवादित भूमि का कानूनन बंटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थी अपनी आराजी का आज दिनांक तक [illegible] करता आ रहा है। अप्रार्थी [illegible] प्रार्थी के मौके काश्त में दखल करते हैं। [illegible] विवादित आराजी आदि करने पर आमादा हैं। [illegible] विवादित आराजी [illegible] प्रार्थी के [illegible] की यथास्थिति बनाये रखने व प्रार्थी के मौके काश्त में दखलंदाजी नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को व [illegible] आराजी के [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उक्त पक्षकारान को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा निमाज प्रथम पटवार हल्का निमाज प्रथम के खसरा नं. 434 रकबा 24-06 बीघा किस्म बारानी प्रथम के प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को बशर्ते प्रश्नगत आराजी का बेचान नहीं करेगें/ मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उक्त पक्षकारान को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई आज्ञार्थ निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली कैफियत इन्द्राज होकर वापस में जमा हो। बाद तामील पत्रावली दाखिल दफ्तर तामील/जवाब पेश हो। Sd/-	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.11.27 10:52:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: